09-12-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। तलबी कराया जाना नहीं पाया जाता है। अतः आवश्यक रूप से कराई जावे। पत्रावली दिनांक 06-02-26 को पेश हो।

06-02-26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। बहस वास्ते इंतजार तलबी पत्रावली दिनांक 07.04.26 को पेश हो।

07-04-26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि ~~बल्के~~ आ.ख.नं. 221 वाके ग्राम सलेमपुर खुर्द में प्रार्थी का नाम भूपसिंह की जगह धूपसिंह व ख.नं. 945 वाके ग्राम सलेमपुर खुर्द में प्रार्थी का निवास स्थान हिंगोटा के स्थान पर मालाहेड़ा राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया। अतः उक्त को शुद्ध किये जाने बाबत निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया। प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर लिस्ट आदि दस्तावेज में प्रार्थी का सही नाम भूपसिंह निवासी हींगोटा दर्ज है। उक्त के आधार पर हम प्रार्थी का नाम एवं निवास स्थान शुद्ध किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 221 वाके ग्राम सलेमपुर खुर्द में प्रार्थी का नाम धूपसिंह के स्थान पर भूपसिंह एवं ख.नं. 945 वाके ग्राम सलेमपुर खुर्द में प्रार्थी का निवास स्थान मालाहेड़ा के स्थान पर हिंगोटा दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।